



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, शुक्रवार, 15 फरवरी, 2013 ई0

माघ 26, 1934 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 62/XXXVI(3)/2013/66(1)/2012

देहरादून, 15 फरवरी, 2013

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित ‘हिमालयन विश्वविद्यालय विधेयक, 2012’ पर दिनांक 13 फरवरी, 2013 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 12 वर्ष, 2013 के रूप में सर्व-साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

हिमालयन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2012

[उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 12 वर्ष 2013]

आयुर्विज्ञान, दन्त विज्ञान, सम्बन्ध स्वास्थ्य विज्ञान, फार्मेसी, नर्सिंग, प्रबन्धन पाठ्यक्रम, विज्ञान, अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, ग्राम्य विकास, मानविकी, विधि, योग विज्ञान और उच्च शिक्षा के अन्य क्षेत्रों में शिक्षण, प्रशिक्षण एवं शोध कार्य से संबन्धित शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन पंजीकृत हिमालयन इन्स्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट, देहरादून, उत्तराखण्ड द्वारा प्रायोजित 'हिमालयन विश्वविद्यालय' नामक विश्वविद्यालय की स्थापना एवं निगमन के लिए—

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधानसभा द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

अध्याय— एक**प्रारम्भिक**

संक्षिप्त शीर्षक एवं
प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमालयन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2012 है।
(2) यह राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी किये जाने वाली तारीख को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

परिभाषाएं

2. जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में :—

- (क) 'प्राधिकारी' से विश्वविद्यालय का प्राधिकारी अभिप्रेत है;
- (ख) 'विद्या परिषद्' से विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् अभिप्रेत है;
- (ग) 'निकाय' से विश्वविद्यालय की निकाय अभिप्रेत है;
- (घ) 'व्यवस्थापक मंडल' से विश्वविद्यालय का व्यवस्थापक मंडल अभिप्रेत है;
- (ङ) 'प्रबन्ध मंडल' से विश्वविद्यालय का प्रबन्ध मंडल अभिप्रेत है;
- (च) 'पाठ्यक्रम मंडल' से विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम मंडल अभिप्रेत है;
- (छ) 'परीक्षा मंडल' से विश्वविद्यालय का परीक्षा मंडल अभिप्रेत है;
- (ज) 'परिसर' से विश्वविद्यालय का परिसर अभिप्रेत है;
- (झ) 'कुलाधिपति', 'कुलपति', 'प्रति कुलपति', 'कुलसचिव', 'परीक्षा नियंत्रक' एवं 'वित्त अधिकारी' से क्रमानुसार विश्वविद्यालय के 'कुलाधिपति', 'कुलपति', 'प्रति कुलपति', 'कुलसचिव', 'परीक्षा नियंत्रक' एवं 'वित्त अधिकारी' अभिप्रेत है;
- (ञ) 'संघटक महाविद्यालय' से विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित एवं प्रबंधित कोई महाविद्यालय या संस्था अभिप्रेत है;
- (ट) 'संकाय के डीन' से विश्वविद्यालय के संकाय का डीन अभिप्रेत है;
- (ठ) 'विभाग' से विश्वविद्यालय का विभाग (शैक्षिक इकाई) अभिप्रेत है, जिसमें एक या एक से अधिक विषयों में अध्ययन व शोध कार्य किया जा रहा हो;

- (ड) 'दूरस्थ शिक्षा पद्धति' से राज्य के भीतर शिक्षा की वह पद्धति अभिप्रेत है जिसमें शिक्षण के लिए ऐसे सूचना प्रौद्योगिकी और संचार के माध्यमों, जैसे मल्टीमीडिया प्रसारण, दूर-दृश्य प्रसारण (टेलीकॉस्टिंग), इन्टरनेट पर ऑनलाइन, दूरसंचार की अन्य पारस्परिक विधियाँ, ई-मेल, इन्टरनेट, कम्प्यूटर, पारस्परिक संवाद, ई-लर्निंग, पत्राचार पाठ्यक्रम, गोष्ठी, सम्पर्क कार्यक्रम या ऐसे किसी दो या अधिक माध्यमों का संयुक्त रूप से उपयोग किया गया हो;
- (ढ) 'कर्मचारी' से विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कोई कर्मचारी अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय या इसके किसी संघटक महाविद्यालय के अध्यापक और अन्य कर्मचारी भी सम्मिलित हैं;
- (ण) 'संकाय' से विश्वविद्यालय का संकाय अभिप्रेत है;
- (त) 'वित्त समिति' से विश्वविद्यालय की वित्त समिति अभिप्रेत है;
- (थ) 'सरकार' से उत्तराखण्ड की राज्य सरकार अभिप्रेत है;
- (द) 'विभागाध्यक्ष' से विश्वविद्यालय का विभाग अथवा केन्द्र का अध्यक्ष अभिप्रेत है;
- (ध) 'स्थायी निवासी' से राज्य का ऐसा निवासी अभिप्रेत है, जिसके पास राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर बनाए गए नियमों के अनुसार मूल निवास/स्थायी निवास प्रमाण पत्र है
- (न) 'विहित' से 'परिनियमों द्वारा विहित' अभिप्रेत है;
- (प) 'प्रधानाचार्य/डीन' से विश्वविद्यालय के महाविद्यालय का प्रधानाचार्य/डीन अभिप्रेत है;
- (फ) 'प्रायोजित संस्था' से सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन पंजीकृत सोसाइटी हिमालयन इन्स्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट, देहरादून अभिप्रेत है;
- (ब) 'क्षेत्रीय केन्द्र' से ऐसे केन्द्र अभिप्रेत है, जिसकी स्थापना या अनुरक्षण विश्वविद्यालय द्वारा किसी क्षेत्र में स्थित अध्ययन केन्द्रों के समन्वय, पर्यवेक्षण तथा ऐसे केन्द्र में अन्य प्रदत्त कार्यों के निष्पादन के उद्देश्य से प्रबन्ध मंडल द्वारा किया गया है;
- (भ) 'राज्य' से उत्तराखण्ड राज्य अभिप्रेत है;
- (म) 'अध्यादेश, परिनियम और नियमावली' से क्रमशः विश्वविद्यालय के अधिनियम, परिनियम व नियम अभिप्रेत है;
- (य) 'सांविधिक परिषद' से संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित सांविधिक परिषद अभिप्रेत है;
- (र) 'अध्ययन केन्द्र' से विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त ऐसे केन्द्र अभिप्रेत है, जिसकी स्थापना एवं अनुरक्षण विद्यार्थियों को सलाह, परामर्श या अन्य सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया है;
- (ल) 'अध्यापक' से आचार्य, सह-आचार्य, सहायक आचार्य/व्याख्याता या ऐसा अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसे विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय में शिक्षण प्रदान करने, या

शोध कार्य के संचालन के लिए सांविधिक परिषद के मानदण्डों के अनुरूप नियुक्त किया जाये और इसके अन्तर्गत किसी संघटक महाविद्यालय का प्राचार्य/डीन भी आता है;

(व) 'यू0जी0सी0' से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अभिप्रेत है;

(श) 'विश्वविद्यालय' से इस अधिनियम के अधीन प्रस्तावित हिमालयन विश्वविद्यालय अभिप्रेत है;

(ष) 'कुलाध्यक्ष' से विश्वविद्यालय का कुलाध्यक्ष अभिप्रेत है।

अध्याय— दो

विश्वविद्यालय और उसके उद्देश्य

विश्वविद्यालय की
स्थापना के लिए
प्रस्ताव

3. (1) प्रायोजित संस्था अर्थात् हिमालयन इन्स्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट देहरादून को इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार हिमालयन विश्वविद्यालय स्थापित करने का अधिकार होगा।

(2) विश्वविद्यालय की स्थापना सम्बन्धी प्रस्ताव सहित एक आवेदन पत्र हिमालयन इन्स्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट, देहरादून द्वारा राज्य सरकार को प्रस्तुत किया गया।

प्रस्तुत आवेदन पत्र के प्रस्ताव में निम्न विवरण दिये गए :-

(क) हिमालयन इन्स्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट, देहरादून के पूर्ण विवरण के साथ विश्वविद्यालय के उद्देश्य;

(ख) विश्वविद्यालय की प्रास्थिति, विस्तार और भूमि की उपलब्धता;

(ग) आगामी पाँच वर्षों में विश्वविद्यालय द्वारा चलाये जाने वाले शैक्षणिक एवं अनुसंधान कार्यक्रमों की प्रकृति तथा प्रकार;

(घ) संकायों की प्रकृति, आरम्भ किया जाने वाला पाठ्यक्रम तथा प्रस्तावित शोध कार्य;

(ङ) विश्वविद्यालय परिसर का विकास जैसे-भवन, उपस्कर तथा संरचनात्मक सुख सुविधायें;

(च) आगामी पाँच वर्षों के लिए पूंजीगत व्यय का चरणबद्ध परिव्यय;

(छ) मदवार आवर्ती व्यय, वित्तीय स्रोत एवं प्रत्येक छात्र के लिए अनुमानित व्यय;

(ज) संसाधन जुटाने की योजना तथा उसकी पूंजीगत लागत और उन्हें चुकाने के तरीके;

(झ) आन्तरिक संसाधनों-विद्यार्थियों से लिये जाने वाले शुल्क, परामर्श एवं विश्वविद्यालय के उद्देश्यों से सम्बन्धित अन्य गतिविधियों से प्रत्याशित राजस्व एवं अन्य प्रत्याशित आय द्वारा आन्तरिक निधियों के सृजन की योजना;

- (अ) संस्था की लागत पर आने वाला व्यय, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए शिक्षण शुल्कों में दी जाने वाली रियायतों या छूटों की सीमा, निःशुल्कता और छात्रवृत्तियों तथा अप्रवासी भारतीयों एवं विदेशों से आने वाले विद्यार्थियों से भिन्न दरों पर, यदि कोई हो, लिये जाने वाले शुल्कों के स्वरूप का ब्यौरा;
- (ट) हिमालयन इन्स्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट, देहरादून में उपलब्ध सम्बन्धित विषयों में विशेषज्ञता एवं अनुभव की अवधि तथा वित्तीय संसाधन;
- (ठ) विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों की चयन पद्धति, और;
- (ड) विश्वविद्यालय की स्थापना से पूर्व अन्य ऐसी शर्तों की, जिसकी पूर्ति राज्य सरकार द्वारा आपेक्षित हो, की प्राप्ति।

विश्वविद्यालय की
स्थापना

4. (1) राज्य सरकार आवश्यक जांच करने के उपरान्त संतुष्ट है कि हिमालयन इन्स्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट, देहरादून ने हिमालयन विश्वविद्यालय को स्थापित करने के लिये सभी मानकों, आवश्यकताओं व शर्तों को पूरा कर लिया है, अतः 'हिमालयन विश्वविद्यालय' नाम से ज्ञात एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा।
- (2) विश्वविद्यालय, हिमालयन विश्वविद्यालय के नाम से एक निगमित निकाय होगा और उसे शाश्वत उत्तराधिकार होगा और उसकी एक सामान्य मुहर होगी तथा वह अपने नाम से वाद लाएगा और उस पर वाद लाया जाएगा।
- (3) (क) विश्वविद्यालय का मुख्यालय स्वामी राम नगर, देहरादून, उत्तराखण्ड, में अवस्थित होगा। विश्वविद्यालय पांच वर्ष की अवधि के बाद राज्य में, राज्य सरकार की पूर्वानुमति से अपना द्वितीय परिसर स्थापित कर सकेगा, परन्तु पर्वतीय क्षेत्रों में 2500 फुट से ऊपर द्वितीय कैम्पस खोलने की कोई समय-सीमा नहीं होगी।
- (ख) विश्वविद्यालय को अन्य विभाग/विषय/संकाय प्रारम्भ करने के लिए, यदि अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता हो, जैसा कि संवैधानिक निकायों के मानकानुसार आवश्यक हो, विश्वविद्यालय या तो उसके मुख्य परिसर से सटा हुआ या मुख्य परिसर से 25 (पचीस) किमी० की परिधि में अलग (स्लिट) परिसर स्थापित कर सकेगा।
- (4) उपधारा (1) के अधीन विश्वविद्यालय की स्थापना किये जाने पर विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिये अधिग्रहीत, निर्मित, व्यवस्थित अथवा सृजित भूमि एवं अन्य चल-अचल संपत्तियाँ, हिमालयन इन्स्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट की संपत्तियों को छोड़कर, विश्वविद्यालय को अन्तरित एवं उसमें निहित हो जायेंगी।
- (5) विश्वविद्यालय के लिए अधिग्रहीत भूमि, भवन एवं अन्य सम्पत्तियों का उस प्रयोजन से भिन्न, जिसके लिए उन्हें अधिग्रहीत किया गया है, उपयोग नहीं किया जायेगा।

- (6) विभिन्न विभागों/संकायों के संचालित समस्त पाठ्यक्रम हेतु विश्वविद्यालय के पास उपलब्ध भूमि एवं भवन, सम्बन्धित सर्वोच्च नियामक आयोग के मानकों के अनुसार होना आवश्यक होगा।

राज्य किसी भी सांविधिक दायित्व के अधीन विश्व-विद्यालय को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये बाध्य नहीं

5. विश्वविद्यालय स्वः वित्तपोषित होगा तथा किसी भी सांविधिक दायित्व के तहत राज्य इस प्रकार स्थापित विश्वविद्यालय को किसी भी प्रकार के अनुदान प्रदान करने के लिये बाध्य नहीं होगा :

परन्तु यह कि विश्वविद्यालय ऐसे किसी भी अनुदान को प्राप्त करने का हकदार होगा, जो कि राज्य सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रित अन्य निकाय या निगमित द्वारा संचालित विशेष योजना के अन्तर्गत इस तरह के अनुदान की शर्तों के अधीन दिया जा रहा हो। इससे विश्वविद्यालय के स्वः वित्तपोषित स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

किसी संस्था को सम्बद्ध करने की शक्ति न होना

6. विश्वविद्यालय में संघटक महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्र, अध्ययन केन्द्र और प्रशिक्षण व अनुसन्धान केन्द्र होंगे, किन्तु उसे अन्य किसी महाविद्यालय/संस्था को सम्बद्धता का विशेषाधिकार प्रदान करने की शक्ति नहीं होगी।

विश्वविद्यालय के उद्देश्य

7. जिन उद्देश्यों के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी है, वे इस प्रकार हैं :-

- (क) अध्ययन और अनुसंधान के पाठ्यक्रमों की स्थापना करना तथा ऐसी अध्ययन शाखाओं जैसे आयुर्विज्ञान, दन्त विज्ञान, नर्सिंग, फार्मेसी, पैरामेडिकल एवं संबद्ध स्वास्थ्य विज्ञान, विज्ञान, इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, योग विज्ञान, प्रबन्धन, ग्रामीण विकास, मानविकी, कानून और उच्च शिक्षा की अन्य शाखाओं, जैसा कि विश्वविद्यालय उचित समझे, में निर्देश एवं प्रशिक्षण प्रदान करना;
- (ख) बड़े समूहों में संगोष्ठियों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं, शैक्षिक कार्यक्रमों, सामुदायिक विकास कार्यक्रमों, प्रकाशनों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और अध्ययन समूहों आदि के माध्यम से, अनुसंधान और अनुभवात्मक अधिगम के माध्यम से प्राप्त किये गये ज्ञान की उन्नति और प्रसार द्वारा मानव जाति के लाभ के लिये प्रदान करना;
- (ग) बाह्य अध्ययन, विस्तार कार्यक्रम एवं बाह्य क्षेत्रीय गतिविधियों द्वारा समाज के विकास में अपना योगदान देना;
- (घ) जैसा कि आवश्यक हो, ऐसे सभी कार्य करना, जो विश्वविद्यालय के समस्त या किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये आवश्यक, प्रासंगिक एवं सहायक हों।

विश्वविद्यालय की शक्तियाँ

8. (1) विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियाँ होगी; अर्थात:-

(क) ऐसे क्षेत्रीय केन्द्रों और अध्ययन केन्द्रों की स्थापना करना, अनुरक्षण करना एवं मान्यता प्रदान करना जैसे समय-समय पर विश्वविद्यालय के परिनियमों में निर्दिष्ट रीति द्वारा निर्धारित किया जाए;

(ख) ऐसे व्यक्तियों के लिए परीक्षाएँ आयोजित करना तथा उन्हें उपाधियाँ या अन्य शैक्षणिक विशिष्टताएँ संस्थित और प्रदान करना जिन्होंने:

(एक) विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय या दूरस्थ शिक्षा पद्धति के अधीन क्षेत्रीय केन्द्रों/अध्ययन केन्द्रों में शिक्षण पाठ्यक्रम का अध्ययन किया हो, या

(दो) विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय में या दूरस्थ शिक्षा पद्धति के अधीन शोध कार्य किया हो ;

(ग) परिनियमों में अभिकथित रीति से और शर्तों के अधीन मानद उपाधियाँ, या अन्य शैक्षणिक विशिष्टताएँ प्रदान करना;

(घ) परिनियमों के अनुसार अध्येतावृतियाँ, छात्रवृतियाँ तथा पुरस्कार, छात्रावस्था, प्रमाण पत्र एवं अन्य शैक्षणिक विशिष्टताएँ संस्थित एवं प्रदान करना;

(ङ) समरूप संगठनों या व्यक्तियों को सहायता प्रदान करना;

(च) शिक्षकों, अध्यापकों अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों और विद्यार्थियों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, अभिविन्यास पाठ्यक्रम, कार्यशालाएँ, संगोष्ठियाँ और अन्य कार्यक्रम संचालित करना;

(छ) विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक, स्नातकोत्तर, डॉक्टर ऑफ फिलासफी, डॉक्टर ऑफ साइन्स की उपाधियों एवं शोध कार्य के लिए ऐसे पाठ्यक्रम निर्धारित करना जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारतीय चिकित्सा परिषद, भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद, भारतीय नर्सिंग परिषद, भारतीय फार्मेसी परिषद, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् एवं अन्य वैधानिक परिषदों के अन्तर्गत आते हैं; किन्तु अपने विषयों में डिप्लोमा प्रमाण-पत्र आदि दिये जाने के सम्बन्ध में अपना पाठ्यक्रम आरम्भ करने का विश्वविद्यालय को अधिकार प्राप्त होगा;

(ज) विशिष्ट समितियों के माध्यम से एवं विद्या परिषद के अनुमोदन से विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय, क्षेत्रीय व अध्ययन केन्द्रों में प्रवेश के लिए मानक अवधारित करना;

(झ) विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्र या अध्ययन केन्द्र में

- किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासियों के लिए योग्यता के आधार पर विशेष व्यवस्था करना;
- (ज) शैक्षणिक, प्रशासनिक एवं सहायक कर्मचारियों और अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना;
- (ट) विश्वविद्यालय अथवा संघटक महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्रों व अध्ययन केन्द्रों में अध्यापकों, अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति करना;
- (ठ) दूरस्थ एवं वैकल्पिक शिक्षा प्रणाली की अभिवृद्धि की व्यवस्था करना ;
- (ड) दूरस्थ शिक्षा परिषद् की पूर्वानुमति से दूरस्थ शिक्षा पद्धति और ऐसी रीति की व्यवस्था करना, जिससे विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यक्रमों के अनुसार दूरस्थ शिक्षा को आयोजित किया जा सके;
- (ढ) ऐसी फीस, बिल, बीजक की मांग करना और प्राप्त करना तथा प्रभार संग्रह करना जो यथास्थिति, परिनियमों या नियमों द्वारा नियत किया जाये;
- (ण) व्यवस्थापक मंडल के अनुमोदन से विश्वविद्यालय की सम्पत्ति की प्रतिभूति पर या उसके बिना विश्वविद्यालय के प्रायोजनार्थ धन जुटाना, संग्रह करना, स्वीकार करना और ऋण प्राप्त करना;
- (त) प्रायोजित संस्था की पूर्वानुमति से विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्रों व अध्ययन केन्द्रों के प्रयोजनार्थ दान और किसी प्रकार के उपहार प्राप्त करना तथा किसी चल, अचल सम्पत्ति का अधिग्रहण करना, धारण करना, प्रबन्ध करना, अनुरक्षण करना और निपटारा करना;
- (थ) विद्यार्थियों और कर्मचारियों के लिए शिक्षा के अतिरिक्त पाठ्योत्तर अन्य गतिविधियों की व्यवस्था करना;
- (द) विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय, के छात्रों के लिए छात्रावास (हॉल) संस्थित करना और उनका अनुरक्षण करना और निवास स्थानों को निश्चित करना;
- (ध) आवास का नियंत्रण करना, पर्यवेक्षण करना, समस्त श्रेणी के कर्मचारियों एवं छात्रों के मध्य अनुशासन पर नियंत्रण रखना तथा आचार संहिता सहित ऐसे कर्मचारियों की सेवा शर्तें विनिर्दिष्ट करना;
- (न) भारत या विदेशों के संस्थानों, संगठनों, विश्वविद्यालयों, व्यक्ति विशेषों, उद्योगों एवं संस्थाओं के साथ ऐसी रीति से तथा ऐसे प्रयोजनों के लिए सहकार्य और सहयोग करना, जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जायें;

- (प) फिल्म, कैसेट, टेप, वीडियो कैसेट, सीडी0, वीसीडी0 और अन्य सॉफ्टवेयर इत्यादि के द्वारा शैक्षिक सामग्री तैयार करने की व्यवस्था करना;
- (फ) अन्य विश्वविद्यालयों, संस्थाओं एवं उच्च शिक्षा केन्द्रों की परीक्षाओं अथवा अध्ययन की अवधि (पूर्ण या आंशिक) को विश्वविद्यालय की परीक्षाओं अथवा अध्ययन की अवधि के समतुल्य मान्यता प्रदान करना और उनको दी गई मान्यता को किसी भी समय समाप्त करना;
- (ब) संविदा करना, उसका निष्पादन करना, उसमें परिवर्तन करना या उसे समाप्त करना;
- (भ) विश्वविद्यालय की शैक्षिक गतिविधियां, प्रायोजित संस्था की गतिविधियों से स्पष्टतया विलग करना ;
- (म) एक कानूनी इकाई के रूप में अपने प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से किसी भी न्यायालय, ट्रिब्यूनल या प्राधिकरण में अपने नाम से वाद लाना और वाद दायर करना;
- (य) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए यथा आवश्यक व संभव ऐसे सभी अन्य कार्य करना, चाहे वे उपर्युक्त शक्तियों के आनुशांगिक हों या न हों;
- (2) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी और उपधारा (1) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना विश्वविद्यालय और दूरस्थ शिक्षा प्रणालियों को प्रोत्साहित करने तथा ऐसी प्रणालियों के शिक्षण, मूल्यांकन और शोध मानक निर्धारित करने के लिए वे सभी उपाय करना विश्वविद्यालय का कर्तव्य होगा, जो वह उचित समझे और इस कार्य के निष्पादन हेतु विश्वविद्यालयों, संघटक महाविद्यालयों, क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों और अनुसंधान केन्द्रों को चाहे उन्हें विशेषाधिकार स्वीकृत हुए हों अथवा नहीं अथवा किसी अन्य विश्वविद्यालय या उच्च शिक्षा संस्थान को अनुदानों के आवंटन एवं संवितरण की शक्ति सहित ऐसी शक्तियां प्राप्त होगी, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जायें।

विश्वविद्यालय में
सभी वर्ग, जाति
एवं लिंग की पहुँच
होगी

9.

विश्वविद्यालय सभी व्यक्तियों के लिए चाहे वे किसी भी वर्ग, जाति या लिंग के हों के प्रवेश के लिए खुला रहेगा :

परन्तु यह कि इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि विश्वविद्यालय द्वारा उत्तराखण्ड के विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए विशेष प्राविधान करने पर प्रतिबन्ध है :

परन्तु और यह भी कि इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि

विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्रों या अध्ययन केन्द्रों द्वारा किसी भी पाठ्यक्रम में परिनियमों द्वारा अवधारित संख्या से अधिक छात्रों को प्रवेश देना अपेक्षित है।

राष्ट्रीय प्रत्यायन 10. विश्वविद्यालय विभिन्न राष्ट्रीय प्रत्यायन निकायों से मान्यता प्राप्त करेगा।

अध्याय—तीन
विश्वविद्यालय के अधिकारी

विश्वविद्यालय के 11. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे; अर्थात् :-

अधिकारी

- (क) कुलाध्यक्ष;
- (ख) कुलाधिपति;
- (ग) कुलपति;
- (घ) प्रति-कुलपति;
- (ङ) कुल सचिव;
- (च) संकायाध्यक्ष;
- (छ) वित्त अधिकारी; और

(ज) ऐसे अन्य अधिकारी, जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय का अधिकारी घोषित किया जाए।

कुलाध्यक्ष

12. (1) उत्तराखण्ड का राज्यपाल विश्वविद्यालय का कुलाध्यक्ष होगा।
- (2) कुलाध्यक्ष, जब उपस्थित हों, तो उपाधियाँ एवं डिप्लोमा प्रदान करने के लिए आयोजित विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेंगे।
- (3) कुलाध्यक्ष को निम्नलिखित शक्तियाँ प्रदान होंगी, अर्थात्:-
- (क) विश्वविद्यालय से सम्बन्धित किसी भी पत्र या सूचना को मांगना;
 - (ख) कुलाध्यक्ष को प्राप्त सूचना के आधार पर, यदि वह संतुष्ट हों कि कोई आदेश, कार्यवृत्त या निर्णय, जो विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी द्वारा लिया गया हो, अधिनियम, परिनियम अथवा नियमों के अनुरूप नहीं हैं तो वह ऐसे निर्देश जारी कर सकेंगे, जिन्हें वह विश्वविद्यालय के हित में उचित समझें और इस प्रकार जारी किये गये निर्देशों का सभी सम्बन्धितों द्वारा अनुपालन किया जायेगा।
 - (4) मानद उपाधि प्रदान करने का प्रत्येक प्रस्ताव कुलाध्यक्ष के अनुमोदन के अधीन होगा।

कुलाधिपति

13. (1) कुलाधिपति की नियुक्ति प्रायोजित संस्था द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से की जायेगी, जो प्रायोजित संस्था का सदस्य होगा :

परन्तु यह कि प्रायोजित संस्था सदस्यों से इतर व्यक्तियों से भी कुलाधिपति नियुक्त कर सकेगी ।

(2) कुलाधिपति को ऐसी शक्तियाँ प्राप्त होगी जो उन्हें इस अधिनियम, या उसके अधीन बनाये गये परिनियमों द्वारा प्रदान की जाये।

कुलपति

14. (1) कुलाधिपति द्वारा उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार गठित समिति द्वारा संस्तुत तीन व्यक्तियों के पैनल में से तीन वर्ष की अवधि के लिए इस तरह के नियम और शर्तों पर, जैसी कि परिनियमों द्वारा विहित की जायें, कुलपति की नियुक्ति की जायेगी।
- (2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट समिति में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :-
 - (क) कुलाधिपति द्वारा नामित एक सदस्य;
 - (ख) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग में प्रमुख सचिव/सचिव;
 - (ग) व्यवस्थापक मण्डल द्वारा नामित तीन सदस्य, जिनमें से एक को व्यवस्थापक मण्डल द्वारा संयोजक के रूप में नामित किया जाएगा;
- (3) समिति, योग्यता के आधार पर कुलपति का पद धारण करने के लिए उपयुक्त तीन व्यक्तियों के नामों का पैनल तैयार करेगी और प्रत्येक ऐसे व्यक्ति की शैक्षिक योग्यताओं तथा अन्य विशिष्टताओं को दर्शाते हुए एक संक्षिप्त विवरण के साथ उसे कुलाधिपति को अग्रसारित करेगी।
- (4) कुलपति, विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा, जो कि विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के विनिश्चयों को लागू करेगा।
- (5) जहां अध्यापक की नियुक्ति से भिन्न कोई ऐसा अत्यावश्यक मामला हो, जिसमें तत्काल कार्यवाही करना आपेक्षित हो और उसके सम्बन्ध में कार्यवाही करने के लिए इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन विश्वविद्यालय के किसी सशक्त अधिकारी या प्राधिकारी या अन्य निकाय द्वारा इस पर तत्काल कार्यवाही न की जा सके तो कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन से कुलपति ऐसी कार्यवाही कर सकेगा जो वह उचित समझे।
- (6) कुलपति, ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।
- (7) कुलाधिपति को सम्यक् जाँच के उपरान्त कुलपति को हटाने का अधिकार प्राप्त होगा। कुलाधिपति, जाँच के दौरान आरोपों की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए, जैसा वह उचित समझे, कुलपति को निलम्बित कर सकेंगे।

- प्रति-कुलपति 15. प्रति-कुलपति की नियुक्ति, कुलपति द्वारा कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन से ऐसी रीति से की जा सकेगी, और व ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।
- कुलसचिव 16. (1) कुलसचिव की नियुक्ति, कुलाधिपति द्वारा ऐसी रीति से एवं ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर की जायेगी, जैसी कि परिनियमों द्वारा विहित की जाएं।
 (2) कुलसचिव, विश्वविद्यालय की ओर से सभी संविदाएं करेगा और उन्हें हस्ताक्षरित करेगा।
 (3) कुलसचिव, विश्वविद्यालय के अभिलेखों तथा सामान्य मुद्रा की सम्यक् अभिरक्षा के लिये उत्तरदायी होगा और वह कुलाधिपति, कुलपति या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष ऐसी समस्त सूचनायें और दस्तावेज, जो उनकी कार्य सम्पादन के लिये आवश्यक हो, प्रस्तुत करने के लिये बाध्य होगा।
 (4) कुलसचिव, को विश्वविद्यालय की ओर से अभिलेखों को अभिप्रमाणित करने की शक्ति होगी, और वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें, या कुलाधिपति या कुलपति द्वारा समय-समय पर आपेक्षित हों।
- संकाय अध्यक्ष 17. संकाय अध्यक्षों की नियुक्ति कुलपति द्वारा ऐसी रीति से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग अथवा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो कि परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।
- वित्त अधिकारी 18. वित्त अधिकारी की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा ऐसी रीति से की जा सकेगी, और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग अथवा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो कि परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।
- अन्य अधिकारीगण 19. विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारीगणों की नियुक्ति की रीति, सेवा के नियम व शर्तें तथा शक्तियाँ व कर्तव्य ऐसे होंगे, जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

अध्याय - चार

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

- विश्वविद्यालय के प्राधिकारी 20. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे अर्थात् :-
 (क) व्यवस्थापक मण्डल;
 (ख) प्रबन्ध मण्डल;

(ग) विद्या परिषद्;

(घ) वित्त समिति; और

(ङ) ऐसे अन्य प्राधिकारी, जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किया जाए।

व्यवस्थापक मण्डल 21. (1) व्यवस्थापक मण्डल में निम्नलिखित होंगे:—

और उसकी

शक्तियाँ

(क) कुलाधिपति — अध्यक्ष

(ख) कुलपति — सदस्य-सचिव

(ग) कुलाध्यक्ष द्वारा नामित तीन शिक्षाविद;

(घ) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग में प्रमुख सचिव/सचिव;

(ङ) प्रायोजित संस्था द्वारा नामित पांच सदस्य;

(च) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नामित एक सदस्य;

(छ) कुलाधिपति द्वारा नामित तीन सदस्य।

(2) व्यवस्थापक मण्डल, विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासनिक निकाय होगी और उसकी निम्नलिखित शक्तियाँ होगी अर्थात् :—

(क) विश्वविद्यालय द्वारा अनुसरण की जाने वाली नीतियों का निर्धारण;

(ख) विश्वविद्यालय के संवैधानिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति;

(ग) विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों के विनिश्चयों का, यदि वे इस अधिनियम या परिनियमों या नियमों के उपबन्धों के अनुरूप न हों, पुनरावलोकन;

(घ) विश्वविद्यालय के बजट, वार्षिक प्रतिवेदन तथा वार्षिक लेखों का अनुमोदन;

(ङ) नए या अतिरिक्त परिनियमों व नियमों को बनाना, या पूर्व में बने परिनियमों व नियमों का संशोधन या निरसन;

(च) विश्वविद्यालय के स्वैच्छिक परिसमापन के सम्बन्ध में विनिश्चय करना;

(छ) विश्वविद्यालय के खातों को खोलना, बन्द करना, संचालित करना व प्रबन्धन करना;

(ज) राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए प्रस्तावों का अनुमोदन; और

(झ) ऐसे निर्णय एवं उपाय करना जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के प्रभावी ढंग से निष्पादन के लिए वांछनीय पाए गए हों;

(3) व्यवस्थापक मण्डल वर्ष में न्यूनतम तीन बैठक ऐसे समय और स्थान पर रखेगा, जैसा कि कुलाधिपति उचित समझे।

प्रबन्ध मण्डल

22. (1) प्रबन्ध मण्डल में निम्नलिखित होंगे :—

(क) कुलपति - अध्यक्ष;

(ख) प्रति-कुलपति, यदि हो;

(ग) प्रायोजित संस्था द्वारा नामित पांच सदस्य;

(घ) कुलाधिपति द्वारा चक्रीय आधार पर नामित संकायों के दो संकायाध्यक्ष;

(ङ) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग में प्रमुख सचिव/सचिव;

(च) कुलपति द्वारा चक्रीय आधार पर नामित दो प्राचार्य;

(छ) कुलसचिव गैर-सदस्य सचिव होगा ।

(2) प्रबन्ध मण्डल की शक्तियाँ एवं कृत्य ऐसे होंगे, जैसे परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

विद्या परिषद्

23. (1) विद्या परिषद् में निम्नलिखित होंगे :-

(क) कुलपति - अध्यक्ष;

(ख) कुल सचिव - सचिव;

(ग) ऐसे अन्य सदस्य, जो परिनियम में विहित किये जायें;

(2) विद्या परिषद्, विश्वविद्यालय की प्रमुख शैक्षणिक निकाय होगी और इस अधिनियम के अधीन निर्मित परिनियमों व नियमों के अन्तर्गत, विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों में समन्वय स्थापित करेगी और उनका सामान्य पर्यवेक्षण करेगी।

(3) विद्या परिषद् की शक्तियाँ एवं कृत्य वही होंगे, जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

वित्त समिति

24. (1) वित्त समिति में निम्नलिखित होंगे :-

(क) कुलपति - अध्यक्ष;

(ख) वित्त अधिकारी - सचिव;

(ग) राज्य सरकार के वित्त विभाग में प्रमुख सचिव/सचिव;

(घ) ऐसे अन्य सदस्य, जो परिनियम में विहित किये जायें;

(2) वित्त समिति विश्वविद्यालय की प्रमुख वित्तीय निकाय होगी, जो वित्तीय मामलों की देखभाल करेगी, और इस अधिनियम के अधीन निर्मित परिनियमों व नियमों के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के वित्तीय मामलों में समन्वय स्थापित करेगी एवं उसका सामान्य पर्यवेक्षण करेगी।

(3) वित्त समिति की शक्तियाँ एवं कृत्य ऐसे होंगे, जैसे परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

अन्य प्राधिकरण

25.

विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरणों का गठन, उनकी शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे, जैसे कि परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

रिक्ति के कारण 26. विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण कार्यवाही का अविधिमान्य न होगी कि प्राधिकरण के गठन में कोई रिक्ति या त्रुटि विद्यमान थी।
अविधिमान्य न होना

अध्याय— पाँच
परिनियम और नियम

परिनियम 27. इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय तथा कर्मचारियों के सम्बन्ध में सभी या किसी विषय के लिए परिनियम द्वारा व्यवस्था की जा सकेगी, जो निम्नवत् है:—

- (क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के कार्य-सम्पादन और ऐसी इकाईयों के गठन की प्रक्रिया जो इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट नहीं की गई है;
- (ख) स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि और विकास निधि का संचालन;
- (ग) कुलाधिपति की नियुक्ति व उनकी शक्तियाँ एवं कृत्य;
- (घ) कुलपति, कुलसचिव और वित्त अधिकारी की नियुक्ति के नियम व शर्तें, उनकी शक्तियाँ और कृत्य;
- (ङ) विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों, अध्यापकों और कर्मचारियों की नियुक्ति की रीति और सेवा शर्तें;
- (च) विश्वविद्यालय और उसके अधिकारियों, अध्यापकों, कर्मचारियों और छात्रों के मध्य विवादों का निराकरण;
- (छ) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही ;
- (ज) विश्वविद्यालय के छात्रों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही ;
- (झ) विभागों और संकायों का सृजन, उत्सादन और उनकी पुनर्संरचना;
- (ञ) अन्य विश्वविद्यालयों तथा उच्च शिक्षा संस्थाओं से सहयोग की रीति;
- (ट) मानद उपाधियों को प्रदान करना;
- (ठ) निःशुल्कता और छात्रवृत्तियां प्रदान करना;
- (ड) विभिन्न पाठ्यक्रमों में सीटों की संख्या, ऐसे पाठ्यक्रमों में छात्रों के प्रवेश की प्रक्रिया जिसमें उत्तराखण्ड के विद्यार्थियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था भी सम्मिलित है;
- (ढ) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, अध्ययनवृत्तियां, निःशुल्कता, पदक और पुरस्कार संस्थित करना;
- (ण) पदों का सृजन और समापन करना;
- (त) अन्य मामले, जो विहित किए जाए।

परिनियम कैसे
बनाये जायेंगे

28. (1) व्यवस्थापक मण्डल द्वारा बनाये गये प्रथम परिनियम राज्य सरकार के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किये जायेंगे, जो उपान्तर के साथ या बिना उपान्तर के परिनियमों की प्राप्ति के दिनांक के तीन माह के अन्दर अपना अनुमोदन दे सकेगी।
- (2) जहाँ राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि में परिनियमों के अनुमोदन के सम्बन्ध में कोई विनिश्चय करने में असफल रहती हैं, वहाँ यह समझा जायेगा कि राज्य सरकार ने परिनियमों को अनुमोदित कर दिया है।

परिनियमों में
संशोधन करने की
शक्ति

29. व्यवस्थापक मण्डल राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से नये या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगा या परिनियमों का संशोधन या निरसन कर सकेगा।

नियम

30. इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, निम्नलिखित समस्त या उनमें से किसी विषय के लिए नियमों की व्यवस्था की जा सकेगी, जो निम्नवत् हैं:-
- (क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश, उनका नामांकन और इस रूप में बने रहना;
- (ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों और अन्य विशिष्टताओं के लिए निर्धारित किये जाने वाले पाठ्यक्रम;
- (ग) उपाधियां तथा अन्य विद्या सम्बन्धी विशिष्टताओं को प्रदान करना;
- (घ) अध्येतावृत्तियाँ, छात्रवृत्तियाँ, अध्ययनवृत्तियाँ, पदक तथा पुरस्कार प्रदान करने की शर्तें;
- (ङ) परीक्षाओं का संचालन तथा परीक्षा लेने वाले निकायों, परीक्षकों, अन्तरीक्षकों, सारणीकारों तथा अनुसीमकों (मॉडरेटर) की नियुक्ति की शर्तें व रीति तथा उनके कर्तव्य;
- (च) विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों से लिया जाने वाला शुल्क;
- (छ) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं, उपाधियों और अन्य शैक्षिक विशिष्टताओं के लिए लिया जाने वाला शुल्क;
- (ज) विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय में छात्रों के निवास की शर्तें;
- (झ) विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय के छात्रों में अनुशासन बनाए रखने हेतु;
- (ञ) अन्य सभी विषय, जिनके लिए इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियमों या परिनियमों में प्राविधान किया जाए।

नियम कैसे बनाए
जायेंगे ?

31. (1) व्यवस्थापक मण्डल द्वारा नियम बनाए जाएंगे और इस प्रकार बनाए गए नियम राज्य सरकार को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे, जो कि नियमों की प्राप्ति के दिनांक से दो माह के अन्दर, उपान्तर के साथ या बिना उपान्तर के, अपना अनुमोदन दे सकेगी।
- (2) जहाँ राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि में नियमों के अनुमोदन के

सम्बन्ध में कोई विनिश्चय करने में असमर्थ हो तो, वहां यह समझा जायेगा कि राज्य सरकार ने नियमों को अनुमोदित कर दिया है।

नियमों को संशोधित करने की शक्ति

32.

व्यवस्थापक मण्डल, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से नए या अतिरिक्त नियम बना सकेगा या नियमों का संशोधन या निरसन कर सकेगा।

अध्याय— छः

प्रकीर्ण

उत्तराखण्ड के स्थाई निवासियों के लिए उपबन्ध

33.

- (1) विश्वविद्यालय में संचालित सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु 40% सीटें उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासियों के लिए आरक्षित की जायेंगी, यदि स्थायी निवासियों हेतु आरक्षित सीटें खाली रह जाती हैं, तो रिक्त सीटें अन्य छात्रों द्वारा भरी जा सकती हैं।
- (2) विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए तय शुल्क में उपधारा (1) में वर्णित उत्तराखण्ड के स्थायी निवासियों को 26% की छूट प्रदान की जायेगी।
- (3) समूह "ग" व "घ" श्रेणी के समस्त पद उत्तराखण्ड के स्थायी निवासियों द्वारा उनकी योग्यता के अनुसार भरे जायेंगे।
- (4) उपरोक्त उपधारा (1) में वर्णित आरक्षित सीटों पर विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार की समय-समय पर संशोधित/लागू आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा।

कर्मचारियों की सेवा शर्तें

34.

- (1) प्रत्येक कर्मचारी की नियुक्ति एक लिखित संविदा के अन्तर्गत की जाएगी, जिसकी प्रति विश्वविद्यालय द्वारा रखी जाएगी तथा एक प्रति सम्बन्धित कर्मचारी को दी जायेगी।
- (2) कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही विश्वविद्यालय के परिनियमों में विहित प्रक्रिया के अनुसार शासित होंगी।
- (3) विश्वविद्यालय और किसी कर्मचारी के बीच संविदा से उत्पन्न होने वाले विवाद का समाधान इस सम्बन्ध में बनाए गए परिनियम की प्रक्रिया के अन्तर्गत किया जाएगा।
- (4) इस अधिनियम में निहित किसी बात के होते हुए भी विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को लोक सेवक नहीं समझा जायेगा और वह हमेशा, इस अधिनियम के प्रायोजन के लिये, या अन्यथा, विश्वविद्यालय के निजी रोजगार के अधीन रहेगा।

अपील का अधिकार 35.

विश्वविद्यालय या संघटक महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्र, अध्ययन केन्द्र आदि के प्रत्येक कर्मचारी या छात्र को इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी विश्वविद्यालय के प्राचार्य/डीन, किसी अधिकारी या प्राधिकारी के विनिश्चय के विरुद्ध प्रबन्ध मण्डल को, ऐसे समय के अन्दर, जो विहित किया जाये, अपील करने का अधिकार होगा और उस पर प्रबन्ध मण्डल ऐसे विनिश्चय को, जिसके विरुद्ध अपील की गयी है, पुष्टि, उपान्तरित या परिवर्तित कर सकेगा।

- भविष्य निधि एवं पेंशन 36. विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों के लाभ के लिए ऐसी रीति से और शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाये, ऐसी भविष्य या पेंशन निधियों का गठन करेगा और ऐसी बीमा योजना की व्यवस्था करेगा, जो वह उचित समझे।
- विश्वविद्यालय प्राधिकरण और निकायों के गठन सम्बन्धी विवाद 37. यदि यह प्रश्न उत्पन्न हो कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय के सदस्य के रूप में विधिवत नामित या नियुक्त किया गया है, या उसका सदस्य होने का हकदार है तो वह विषय कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा जिस पर उनका विनिश्चय अन्तिम होगा।
- समितियों का गठन 38. धारा 20 में उल्लिखित विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को ऐसे प्राधिकारी की समिति गठित करने की शक्ति होगी, जिसमें ऐसे सदस्य होंगे और जिनकी ऐसी शक्तियाँ होंगी, जो ऐसा प्राधिकारी उचित समझे।
- आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति 39. विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों में से किसी आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति उसी रीति से की जायेगी जिस रीति से वह सदस्य, जिसकी रिक्ति की पूर्ति करनी हो, और रिक्ति की पूर्ति करने वाला व्यक्ति ऐसे प्राधिकारी या निकाय का सदस्य उस अवशिष्ट अवधि के लिए होगा जिसके लिए वह व्यक्ति, जिसका स्थान वह भरता है/भरती है, सदस्य बना रहता।
- सद्भावनापूर्ण की गयी कार्यवाही के प्रति संरक्षण 40. विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही, किसी भी ऐसे विषय के सम्बन्ध में, जो अधिनियमों या परिनियमों या नियमों के उपबन्धों के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक की गई है, या की जाने के लिए आशयित हैं, संस्थित नहीं होगी।
- संक्रमणकालीन प्राविधान 41.. इस अधिनियम व परिनियमों के किन्हीं अन्य उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी :-
 (क) प्रथम कुलपति एवं प्रथम प्रति-कुलपति (यदि कोई है), की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा की जायेगी और उक्त अधिकारी तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा
 (ख) प्रथम कुलसचिव और प्रथम वित्त अधिकारी की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा की जायेगी और उक्त अधिकारी तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा;
 (ग) प्रथम व्यवस्थापक मण्डल तीन वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए पद धारण करेगा;
 (घ) प्रथम प्रबन्ध मण्डल, प्रथम वित्त समिति और प्रथम विद्या परिषद् का गठन, कुलाधिपति द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिये किया जाएगा।

- स्थायी विन्यास निधि** 42. विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार के नाम से प्लेज्ड रुपये 5 करोड़ (रुपये पाँच करोड़ मात्र) की एक स्थायी विन्यास निधि राष्ट्रीयकृत बैंक की बैंक गारंटी के रूप में स्थापित की जायेगी, जिसकी अवधि पाँच वर्ष की होगी, जिसका पुनः पाँच वर्ष के लिए नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- सामान्य निधि** 43. (1) विश्वविद्यालय द्वारा एक सामान्य निधि स्थापित की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायेगी, अर्थात:-
 (क) सभी शुल्क; जो कि विश्वविद्यालय द्वारा लिये जायेंगे,
 (ख) किसी अन्य स्रोत से प्राप्त समस्त धनराशि;
 (ग) प्रायोजित संस्था द्वारा किये गये समस्त अंशदान;
 (घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा, जिन्हें तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो, इस निमित्त किये गये सभी अंशदान/दान;
 (2) सामान्य निधि में जमा धनराशि का उपयोग विश्वविद्यालय के सभी आवर्तक व्ययों के लिये किया जायेगा ।
- विकास निधि** 44. (1) विश्वविद्यालय एक विकास निधि भी स्थापित करेगा, जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायेगी, अर्थात:-
 (क) विकास शुल्क-जिसे छात्र पर प्रभारित किया जाये;
 (ख) विश्वविद्यालय के विकास के प्रयोजन के लिये किसी अन्य स्रोत से प्राप्त समस्त धनराशि;
 (ग) प्रायोजित संस्था द्वारा किये गये सभी अंशदान;
 (घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा, जिन्हें तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो, इस निमित्त किये गये सभी अंशदान/दान; और
 (ङ) स्थायी विन्यास निधि से प्राप्त समस्त आय ।
 (2) विकास निधि में समय-समय पर जमा की गयी धनराशि का उपयोग विश्वविद्यालय के विकास के लिये किया जायेगा ।
- निधि का अनुरक्षण** 45. धारा 42, 43 और 44 के अधीन स्थापित निधियों को व्यवस्थापक मण्डल के सामान्य पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण के अध्वधीन रहते हुए, विहित रीति से विनियमित एवं अनुरक्षित किया जायेगा ।

वार्षिक प्रतिवेदन

46

- (1) प्रबन्ध मण्डल के निर्देशन के अधीन विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन तैयार किया जायेगा और इसे व्यवस्थापक मण्डल को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा;
- (2) व्यवस्थापक मण्डल अपनी बैठक में वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार करेगा और वह उसे उपान्तर के साथ या बिना उपान्तर के अनुमोदित करेगा।
- (3) व्यवस्थापक मण्डल द्वारा विधिवत् अनुमोदित वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, प्रति वर्ष 31 मार्च को वर्ष की समाप्त हुए वित्त वर्ष के अनुवर्ती 31 दिसम्बर से पहले कुलाध्यक्ष और राज्य सरकार को प्रेषित की जायेगी।

खाते तथा

लेखा-परीक्षा

47.

- (1) विश्वविद्यालय के खाते किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खोले जाएंगे।
- (2) प्रबन्ध मण्डल के निर्देशों के अधीन विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा और तुलन-पत्र तैयार किये जायेंगे तथा किसी भी स्रोत से विश्वविद्यालय को प्रोदभूत या प्राप्त समस्त धनराशि और ऐसी समस्त धनराशि की, जिनका संवितरण या भुगतान किया गया हो, विश्वविद्यालय द्वारा रखे गये लेखों में प्रविष्टि की जायेगी।
- (3) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखाओं की प्रतिवर्ष ऐसे लेखा-परीक्षक द्वारा लेखा-परीक्षा की जायेगी, जो इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्स ऑफ इण्डिया का सदस्य हो।
- (4) लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के साथ वार्षिक लेखाओं और तुलन-पत्र की एक प्रति, प्रतिवर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के अनुवर्ती 31 दिसम्बर से काफी पहले व्यवस्थापक मण्डल को प्रस्तुत की जायेगी।
- (5) व्यवस्थापक मण्डल द्वारा वार्षिक लेखा, तुलन-पत्र और लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन पर अपनी बैठक में विचार किया जायेगा और व्यवस्थापक मण्डल उस पर अपनी सम्प्रेक्षण 31 दिसम्बर से पहले अभ्युक्तियों के साथ प्रतिवर्ष उसे कुलाध्यक्ष और राज्य सरकार को अग्रसारित करेगा।
- (6) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखाओं और लेखा-परीक्षा पर राज्य सरकार द्वारा दिए गए निर्देश विश्वविद्यालय के लिए बाध्यकारी होंगे।

विश्वविद्यालय के

अभिलेख को

प्रमाणित करने की

विधि

48.

विश्वविद्यालय के कब्जे में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या समिति की किसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, या संकल्प या अन्य दस्तावेज या विश्वविद्यालय द्वारा सम्यक् रूप से विधिवत् रखी गयी किसी पूंजी की कोई प्रविष्टि यदि कुलसचिव द्वारा प्रमाणित हो तो उसे ऐसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या दस्तावेज के या पंजिका में प्रविष्टि होने के प्रथम दृष्टया साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जायेगा और उसमें अभिलिखित विषय और संव्यवहार के लिए साक्ष्य के रूप में उसी प्रकार ग्रहण किया

जायेगा, जैसा कि यदि मूल प्रति प्रस्तुत की गई हो, तो वह साक्ष्य के रूप में स्वीकार होगी।

विश्वविद्यालय का
विघटन

49. (1) यदि हिमालयन इन्स्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट, देहरादून, अपने संविधान या निगमन को नियंत्रित करने वाली विधि के अनुसार हिमालयन विश्वविद्यालय के विघटन का प्रस्ताव करता है तो वह राज्य सरकार को कम से कम तीन माह का लिखित नोटिस देगा।
- (2) विश्वविद्यालय की प्रबन्ध प्रणालियों में कुप्रबन्धन, कुप्रशासन, अनुशासनहीनता, विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की पूर्ति में विफल होने एवं आर्थिक कठिनाईयों की पहचान किये जाने पर राज्य सरकार विश्वविद्यालय की प्रबन्ध व्यवस्था को निर्देश जारी करेगी। यदि ऐसे निर्देशों का, ऐसे समय के अधीन जैसे विहित की गई हैं, अनुपालन नहीं किया जाता तो विश्वविद्यालय के परिसमापन का निर्णय लेने का अधिकार राज्य सरकार में निहित होगा।
- (3) विश्वविद्यालय का परिसमापन ऐसी रीति से किया जायेगा, जो इस विषय में राज्य सरकार द्वारा विहित की जाये ;

परन्तु यह कि हिमालयन इन्स्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ऐसी कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की जायेगी।

- (4) उपधारा (1) में निर्दिष्ट नोटिस के प्राप्त होने पर राज्य सरकार सांविधिक परिषद् एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से परामर्श करके विश्वविद्यालय के विघटन के प्रस्तावित दिनांक से और जब तक विश्वविद्यालय के नियमित पाठ्यक्रमों में छात्रों का अन्तिम बैच अपने पाठ्यक्रमों को ऐसी रीति से पूरा न कर ले, विश्वविद्यालय के प्रशासन की ऐसी व्यवस्था करेगा, जैसी परिनियमों द्वारा विहित की जाये।
- (5) विश्वविद्यालय के विघटन पर सभी देयताओं का भुगतान करने के उपरान्त विश्वविद्यालय की शेष संपत्ति प्रायोजित संस्था हिमालयन इन्स्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट में निहित हो जाएगी।

विश्वविद्यालय के
विघटन के समय
विश्वविद्यालय के
व्यय

50. (1) धारा 49 के अधीन विश्वविद्यालय का प्रबन्ध ग्रहण करने की अवधि के दौरान उसके प्रशासन के लिए होने वाला व्यय स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि या विकास निधि से पूरा किया जायेगा।
- (2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट निधियां, विश्वविद्यालय का प्रबन्ध ग्रहण करने की अवधि के दौरान उसके प्रशासन के लिए पर्याप्त नहीं है तो राज्य सरकार द्वारा ऐसे व्यय की पूर्ति विश्वविद्यालय की सम्पत्तियों या आस्तियों के निस्तारण द्वारा की जा सकेगी।

कठिनाईयों का निराकरण 51. (1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को लागू करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, अधिसूचना या आदेश द्वारा, ऐसे प्राविधान कर सकती है, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो और जो कठिनाईयों को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो :

परन्तु यह कि कोई अधिसूचना या आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात नहीं दिया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश, उसके किये जाने के पश्चात यथाशीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा।

निरसन और अपवाद 52 (1) हिमालयन विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2012 इसके द्वारा निरसित किया जाता है।
(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गयी कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जायेगी।

आज्ञा से,

डी० पी० गैरोला,
प्रमुख सचिव।

No. 62/XXXVI(3)/2013/66(1)/2012
Dated Dehradun, February 15, 2013

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of '**The Himalayan University Act, 2012**' (Adhiniyam Sankhya 12 of 2013).

As Passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 13 February, 2013.